मोदी के नेतृत्व
है। इसलिए अगले
भारत में किसी भी तरह
करने में कोई घाटा नहीं हो
सकता। इंडो-यूरोपियन बिजनेस फोरम

हरियाणा बिजनेस
व्यवसाय से जुड़ी उद्यमी गीतांजलि बहल
ने कहा कि पूरे भारत में और खासतौर पर
दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में हर कारोबार में
बढ़ोतरी की पूरी गुंजाइश है।

नोट :- ... www.uktenders.gov.in पर ... अधिशासी
आदि www.uktenders.gov.in पर ... उत्तराखण्ड पेयजल
अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड ...
जा सकती है।

"जल संचय-जीवन संचय" कृपया जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचायें।
वैधानिक चेतावनी - जल स्रोतों को प्रदूषित करना दण्डनीय अपराध है।

MENT OF INDIA
ENERAL OF TRAINING
OPMENT & ENTREPRENEURSHIP

ON NOTICE

dvanced Diploma Course NSQF Level 6 in 'IT,
pproved) in 21 National Skill Training Institutes
ourse will be done through an All India Common
nce Test for admission to the session starting in
held on 24.08.2019. Online application is invited
igible candidate till 16.08.2019 for appearing in
centers. Candidates having ITI (NTC) certificate
a or any degree from recognized university with
andidates pursuing CTS, in NSTI/ITI who have
also apply. Admitted candidates may get month-
e by IBM through Channel partner. The last date
19. For more details regarding application form,
www.nimionlineadmission.in/adit.

मुख्यालय – 'गौरा देवी पर्यावरण भवन'
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण बोर्ड
46बी, आई.टी.पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।
Email:msukpcb@yahoo.com; Web: www.ueppcb.uk.gov.in

UEPPCB

पत्रांकः यू.ई.पी.पी.सी.बी. /एच.ओ./एनओसी-7200/19/561

दिनांक 09.08.2019

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए सूचना

M/s Shri Satyendra Kumar Tomar द्वारा Village- Baursha, Distt- Nainital में Mining of Sand, Bajri & Boulders (Area-6.00 Ha) Gola River Bed) में 132000 टन प्रतिवर्ष) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा Terms of Reference निर्धारित किये गये हैं, जिसके अन्तर्गत प्रस्ताव के द्वारा प्रर्यावरण प्रभाव, मूल्यांकन रिपोर्ट एवं पर्यावरण प्रबन्धन योजना आदि तैयार कर प्रस्तुत की गयी है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए अधिसूचना 14.09.2006 के अनुसार उक्त प्रकार की परियोजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व लोक सुनवाई का प्राविधान है, जिस हेतु 30 दिनों का नोटिस समाचार पत्रों के माध्यम से जन साधारण के संज्ञानार्थ दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई हेतु 'पैनल' की संरचना उक्त अधिसूचना के अनुरूप निम्नवत है:- जो अपर जिलाधिकारी से कम पद का न हो, लोक सुनवाई के अध्यक्ष।

1. जिलाधिकारी, जनपद, नैनीताल या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि
2. उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि।

परियोजना से सम्बन्धित जमा समस्त अभिलेख, क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, देहरादून, मुख्यालय, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी, कार्यालय जिलाधिकारी, नैनीताल, कार्यालय जिला पंचायत, नैनीताल, जिला उद्योग केन्द्र, नैनीताल एवं कार्यालय नगर पालिका नैनीताल में उपलब्ध है, जिनका कोई भी इच्छुक संस्था/व्यक्ति अवलोकन कर सकता है। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट के सारांश की प्रति www.ueppcb.uk.gov.in पर भी उपलब्ध है।

M/s Shri Satyendra Kumar Tomar द्वारा Village- Baursha, Distt- Nainital में Mining of Sand, Bajri & Boulders (Area-6.00 Ha) Gola River Bed) में 132000 टन प्रति वर्ष) की स्थापना हेतु प्रस्तावित लोक सुनवाई दिनांक 13.09.2019 को प्रातः 11.00 बजे से परियोजना स्थल पर निर्धारित की गयी है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अपने-अपने क्षेत्र से सम्बन्धित परियोजना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने मौखिक, लिखित, सुझाव टीक टिप्पणियां एवं आपत्तियां इस कार्यालय अथवा कोई भी क्षेत्रीय कार्यालय, यू.ई.पी.पी.सी.बी., हल्द्वानी में इस सूचना से सम्बन्धित विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर प्रेषित कर सकते हैं अथवा लोक सुनवाई के समय भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

सदस्य सचिव
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

थान (दिव्यांगजन) (एन आई ई पी एम डी)
परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त)
य और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)
), चेन्नई-603 112, तमिलनाडु.
472113, 27472046 | टोल फ्री नं.: 18004250345
ई-मेल: niepmd@gmail.com

ख्या: 26/2019

शल विकास, पुनर्वास एवं रोजगार के लिए
उत्तर प्रदेश में 11 महीनों की अवधि के लिए
सलाहकार पदों की नियुक्ति के लिए आवेदन

पदों के नाम
सलाहकार)
र)
ल थेरेपिस्ट) (सलाहकार)

, आवश्यक अनुभव, आवेदन शुल्क आदि के लिए
ट करें।

वित्त विभाग, उत्तराखण्ड सरकार
वित्त अनुभाग - 1

XVII (1)/2019

देहरादूनः दिनांकः 08 अगस्त, 2019